



F-07-08
F-07-11

सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र
CENTRE FOR MILITARY AIRWORTHINESS & CERTIFICATION

IS/ISO: 9001:2008

रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन
DEFENCE R&D ORGANISATION
भारत सरकार, रक्षा मंत्रालय
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
मारत्तहल्ली कालोनी पोस्ट, बेंगलूरु - 560 037
MARATHAHALLI COLONY P.O
BENGALURU - 560 037

वर्ग अनुमोदन सं.: 1767 का संशोधन सहित नवीकरण

Renewal cum Amendment of Type Approval Number: 1767

विषय /Sub: एंटी स्किड कंट्रोल यूनिट , पार्ट सं :228100000

Anti Skid Control Unit, Part Number: 228100000

यह घोषित किया जाता है कि मेसर्स एचएएल, एरोस्पेस सिस्टम्स एंड इक्विपमेंट्स रिसर्च एंड डिज़ाइन सेंटर (ए एस ई आर डी सी), लखनऊ - 226 016 द्वारा अभिकल्पित एवं विकसित तथा मेसर्स हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, असेसरीज़ प्रभाग, लखनऊ -226 016 द्वारा उत्पादित "एंटी स्किड कंट्रोल यूनिट", पार्ट सं. 228100000, को संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1767, दिनांक 29 जुलाई 2013 द्वारा वर्ग अनुमोदन सं. 1767 जारी किया गया था जिसकी वैधता 30 जून 2018 तक थी।

This is to state that the "Anti Skid Control Unit" bearing the Part No. 228100000, designed and developed by M/s. HAL, Aerospace Systems & Equipment Research and Design Centre (ASERDC), Lucknow - 226 016 and manufactured by M/s. Hindustan Aeronautics Limited, Accessories Division, Lucknow - 226 016, was issued with Type Approval Number: 1767 vide reference number: CEMILAC/5070/TA-1767, dated: 29th July 2013 with its validity up to 30th June 2018.

2. उक्त वर्ग अनुमोदन सं. 1767 और उसके परिशिष्ट 'ए' (पृष्ठ सं. 2 के 1) में निम्नलिखित संशोधन लागू होगा। तालिका 1 की अंतिम पंक्ति के बाद यह जोड़िए (अस्थायी मंजूरी के बाद):

The following amendment is effected in the Appendix 'A' (Page 1 of 2) of the subject Type Approval Number: 1767. Add after last row of Table 1 (after Provisional Clearance):

ACBS No.: 228100000-264, Issue - '1A', Dated: 15th December 2012

3. यह प्रमाणित किया जाता है कि इस वर्ग अनुमोदन का नवीकरण 01 अगस्त 2018 से संतोषजनक निष्पादन फीडबैक के आधार पर किया जाता है तथा 31 जुलाई 2023 तक वैध है बशर्ते इसे स्थगित, निरस्त या रद्द नहीं किया जाता। विक्रेता को इस वर्ग अनुमोदन की अवधि समाप्त होने के तीन (03) महीने पहले ही अनुवर्ती नवीकरण के लिए निष्पादन फीडबैक, उत्पादित मात्रा, अगर कोई अस्वीकरण है तो उसे और उसके कारण को सम्मिलित करते हुए सभी संलग्न दस्तावेजों के साथ आर.सी.एम.ए (लखनऊ), लखनऊ - 226 016 से अनुरोध करना होगा।

This is to certify that this Type Approval is hereby renewed w.e.f. 01st August 2018 based on the satisfactory performance feedback and is valid up to 31st July 2023 unless otherwise suspended, cancelled or revoked. For subsequent renewal, the vendor shall request RCMA (Lucknow), Lucknow - 226 016, three (03) months before the expiry of Type Approval, with all relevant documents including performance feedback, quantity produced & rejections, if any, and its cause.

4. संदर्भ सं. सेमिलैक/5070/टीए-1764, दिनांक 24 जुलाई 2013 द्वारा जारी मूल वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र के अनुच्छेद चार (04) में निम्नलिखित संशोधन लागू है।

The Para four (04) of original Type Approval Certificate vide Reference Number: CEMILAC/5070/TA-1764, dated: 24th July 2013 is amended as stated herewith.

“अगर इस संलग्न टाइप रिकॉर्ड के वर्ग अनुमोदन, एसओपी और घोषित निष्पादन में कोई परिवर्तन करना हो तो सेना उड़नयोग्यता और प्रमाणीकरण केंद्र (सेमिलैक), बेंगलूरु - 560 037 की पूर्व सहमति लेनी होगी। यह वर्ग अनुमोदन किसी अन्य अभिकरण को स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है।”

“[Prior concurrence of Centre for Military Airworthiness & Certification (CEMILAC), Bengaluru - 560 037, is to be obtained to adopt any changes in the SOP and in the declared performance indicated in the Type Record. The Type Approval is not at all transferable to any other agency]”.


5. प्रारंभिक वर्ग अनुमोदन प्रमाणपत्र में अनुबद्ध अन्य सभी शर्तें वही रहेंगी और पूर्णतः लागू होगा।

All other conditions stipulated in the initial type approval certificate remain unaltered, and fully applicable.

सं./No.: सेमिलैक / CEMILAC/5070/टी.ए/TA-1767/1R

दिनांक / Date : 28 August 2018

फैक्ससं / Fax No: 080-25230856


23/08/18


23/8



पी . जयपाल / P. JAYAPAL
उत्कृष्ट वैज्ञानिक / Outstanding Scientist
मुख्य कार्यपालक(उड़नयोग्यता)/
Chief Executive (Airworthiness)